

**सम्मानित जनपद न्यायाधीश बरेली द्वारा दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (A.C.R.) वर्ष 2023-2024 के सम्बन्ध में हरि प्रकाश गुप्ता, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फतेहपुर (पूर्व में जनपद बरेली में कार्यरत) का प्रत्यावेदन (Representation)-**

माननीय महोदय

सादर विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायिक अधिकारियों के लिए ई-पोर्टल पर अपना स्व मूल्यांकन प्रपत्र (Self Assessment Statement) वर्ष 2023-2024 को अप्रैल माह के अन्त में सबमिट किया गया था। उक्त स्व मूल्यांकन प्रपत्र का सम्मानित जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली, श्रीमान विनोद कुमार-III द्वारा मूल्यांकन करते हुए, **सर्व प्रकार से मूल्यांकन, (Over all Assessment) में अच्छा (Good)** की श्रेणी प्रदान की गयी है। लेकिन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा टिप्पड़ी सूची ( Remark Table ) में प्रस्तर संख्या 01(f) बावत निर्णय लेखन (Judgement writing) एवं सम्बन्धित प्रस्तर संख्या 01(f)( ii) एवं 01(f)( iv) एवं प्रस्तर संख्या 01(f), प्रस्तर संख्या 01(i), प्रस्तर संख्या 01(j) एवं प्रस्तर संख्या 01(m) के सन्दर्भ में जो टिप्पणियां की गयी हैं वह प्रार्थी के लिये निष्पक्ष एवं न्यायसंगत (Just & Fair ) नहीं हैं। उक्त प्रस्तरों में किये गये पृष्ठांकनों/टिप्पणियों (Comments) के कारण प्रार्थी के उच्चतर न्यायिक सेवा (H.J.S. Cadre) में उज्रवल भविष्य एवं पदोन्नति (Promotions) में बाधा उत्पन्न होने का आसन्न संकट विद्यमान हो गया है। जिससे प्रार्थी के भविष्य के अंधकारमय होने का भय प्रार्थी के मन-मस्तिष्क में व्याप्त होता जा रहा है।

वर्तमान जनपद न्यायाधीश, बरेली श्री विनोद कुमार-III ने पिछले वर्ष भी प्रार्थी की वार्षिक गोपनीय टिप्पणी A.C.R.- 2022-2023 में प्रविष्टियां अंकित की थी और प्रार्थी के कार्य, व्यवहार एवं न्यायिक कार्य, निर्णय लेखन तथा प्रशासनिक क्षमता आदि के बारे में **"अच्छा (Good)"** श्रेणी का पृष्ठांकन करते हुए "सर्व प्रकार से मूल्यांकन" (Over all Assessment) में **"बहुत अच्छा (Very Good)"** की श्रेणी प्रदान की थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-2024 में भी श्रीमान जनपद न्यायाधीश, बरेली का मेरे सम्बन्ध में मूल्यांकन एवं व्यवहार बहुत अच्छा बना रहा। उनकी मेरे प्रति कृपा दृष्टि एवं विश्वास की भावना की बानगी इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में माह फरवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में जब सिविल जज (सी०डि०) एवं सिविल जज (जू०डि०) कैडर के न्यायिक अधिकारियों की समस्याओं के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए श्रीमान जनपद न्यायाधीश बरेली द्वारा अपर जनपद न्यायाधीश स्तर के अधिकारियों के लघु समूह (Cluster) बनाये गये थे। उनमें से एक लघु समूह (Cluster) में तत्कालीन अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या-2, बरेली के साथ प्रार्थी को भी उक्त न्यायिक अधिकारियों के समस्या समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए दायित्व सौंपा गया था। इसी तरह धार्मिक रूप से संवेदनशील एक फौजदारी वाद में पीड़िता के लुप्त बयान के पुनर्गठन का दायित्व भी प्रार्थी को सौंपा गया था। प्रार्थी ने सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों को भली प्रकार से निष्पादित किया है।

लेकिन दिनांक 15-04-2024 को वार्षिक स्थानान्तरण में जजशिप बरेली में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी का स्थानान्तरण जजशिप बरेली से जजशिप फतेहपुर में किया गया। मेरे स्थानान्तरण के बाद किन्हीं अज्ञात बाह्य कारणों से श्रीमान जनपद न्यायाधीश बरेली श्री विनोद कुमार -III का प्रार्थी के प्रति व्यवहार एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया और उनके द्वारा प्रार्थी की वार्षिक गोपनीय टिप्पणी A.C.R.- 2023-2024 में नकारात्मक टिप्पणियां करते हुए सर्व प्रकार से मूल्यांकन में मात्र **अच्छा 'Good'** की श्रेणी प्रदान की गयी है। प्रार्थी क्षमा एवं दुख की भावना ( Feelings of Sorry & Sadness) के साथ यह सादर निवेदन कर रहा है कि सम्मानित जनपद न्यायाधीश, बरेली द्वारा प्रार्थी के स्वनिर्धारण प्रपत्र (Self Assessment Statement) का सही प्रकार से

मूल्यांकन नहीं किया गया, बल्कि किसी बाह्य कारण अथवा पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर प्रार्थी की वार्षिक गोपनीय टिप्पणी (A.C.R.)- 2023-2024 में नकारात्मक पृष्ठांकन (Negative Endorsements) किये गये हैं, जिनके विद्यमान रहने से प्रार्थी के उच्चतर न्यायिक सेवा में भविष्य के अंधकारमय हो जाने की संभावना है।

वार्षिक गोपनीय टिप्पणी A.C.R.- 2023-2024 में किये गये प्रार्थी के मूल्यांकन(Over all Assessment) एवं नकारात्मक टिप्पणियों (Negative Endorsements) के सम्बन्ध में प्रार्थी अपने प्रत्यावेदन में प्रस्तरवार( Parawise ) निम्न अनुसार सादर निवेदन कर रहा है-

**1- प्रस्तर संख्या 01(f) , प्रस्तर संख्या 01(f)( ii) एवं प्रस्तर संख्या 01(f)( iv) बावत निर्णय लेखन (Judgement writing) :-** सम्मानित जनपद न्यायाधीश, बरेली ने मेरे निर्णय लेखन के तथ्य एवं विधि पर आधारित होने के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए निर्णयों के सम्बन्ध में **औसत (Average)** का पृष्ठांकन अंकित किया गया है और निर्णय में सुधार की जरूरत ( Needs Improvement ) बतायी है। उनके द्वारा मेरे निर्णयों में साक्ष्य के मूल्यांकन को भी **औसत (Average)** अंकित किया गया है तथा प्रार्थी की निर्णय /आदेश लेखन क्षमता (Judgement / Order writting capability) के संबंध में वर्णित श्रेणियों में से B-Average (औसत) श्रेणी प्रदान की गयी है।

इस सम्बन्ध में प्रार्थी का सविनय निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा सदैव पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन ( Appreciation ) करते हुए सकारण, तर्क एवं विधि पर आधारित (Based on Reason, Logic & Law) निर्णयों एवं आदेशों को पारित किया गया है। न्यायिक सेवा के अपने 15 वर्षों के लम्बे कार्यकाल में कभी किसी भी माननीय अपीलीय न्यायालय अथवा रिवीजन न्यायालय द्वारा मेरे निर्णयों अथवा आदेशों के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। जबकि इस दौरान प्रार्थी द्वारा सैकड़ों निर्णय एवं हजारों आदेश पारित किये गये हैं, जिनका समय-समय पर सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा विभिन्न अपील, रिवीजन एवं अन्य कार्यवाहियों के प्रक्रम में चुनौती दी गयी है। प्रार्थी के निर्णयों एवं आदेशों के सम्बन्ध में पिछले 14 वर्षों में मेरे स्व मूल्यांकन प्रपत्रों (Self Assessment Statements) का मूल्यांकन करते हुए सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदयगण द्वारा वार्षिक गोपनीय टिप्पणियों में कभी भी मेरे निर्णयों एवं आदेशों के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है और मेरे निर्णयों एवं आदेशों को साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन एवं विधि के अनुसार सकारण एवं तर्क पर आधारित होने का पृष्ठांकन किया गया है। ( इस सम्बन्ध में समुचित रिकार्ड माननीय उच्च न्यायालय के सम्बन्धित अनुभाग में सुरक्षित रूप से उपलब्ध है। ) मेरे उपरोक्त लम्बे कार्यकाल में कभी भी किसी भी माननीय अपीलीय अथवा रिवीजन न्यायालय ने एवं किसी भी सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय ने मेरे निर्णयों एवं आदेशों में सुधार की कोई आवश्यकता ( Need of Improvement ) नहीं बतायी है।

यहाँ प्रार्थी, माननीय महोदय का ध्यान, सादर निवेदन करते हुए स्वयं जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा इस प्रस्तर 01(f) से पहले के प्रस्तर 01(e)(v) में मूल्यांकन के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा यह पृष्ठांकन किया गया है कि Yes, Orders made according to law on sufficient grounds. अर्थात् प्रार्थी के आदेश विधि के अनुसार, पर्याप्त आधारों के अनुसार पारित किये गये हैं। इस प्रकार स्वयं सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रस्तर 01(f) एवं प्रस्तर 01(e)(v) में की गयी मूल्यांकन टिप्पणियां एक दूसरे की विरोधाभासी हैं और यह दर्शित करती हैं कि सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा मेरे स्वनिर्धारण प्रपत्र का निष्पक्ष एवं समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया है।

यहाँ प्रार्थी, माननीय महोदय का ध्यान, सादर निवेदन करते हुए इस तथ्य की ओर भी आकर्षित करना चाहता है कि वर्तमान जनपद न्यायाधीश, बरेली श्री विनोद कुमार- III ने पिछले वर्ष भी प्रार्थी की वार्षिक गोपनीय टिप्पणी A.C.R.- 2022-2023 में प्रविष्टियां

अंकित की थी और सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय श्रीमान विनोद कुमार- III ने मेरे स्वनिर्धारण प्रपत्र के सर्व प्रकार से मूल्यांकन (Over all Assessment) में बहुत अच्छा ( Very Good ) श्रेणी प्रदान की थी। उस वर्ष के टिप्पणी नोट /Comments में स्वयं श्रीमान जनपद न्यायाधीश के द्वारा प्रस्तर 01(f) बावत निर्णय लेखन में यह पृष्ठांकन किया गया था कि **Yes, In the judgments, marshalling of facts and apprecication of evidence are made properly with proper application of law Judgments are sound, well reasoned and expressed in good language.** अर्थात् पिछले वर्ष मेरे निर्णयों एवं आदेशों के लेखन के सम्बन्ध में इन्हीं सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय का प्रार्थी के प्रति मूल्यांकन पूर्णतः सकारात्मक था और प्रार्थी के निर्णय लेखन की प्रशंसा की गयी थी। लेकिन लगभग एक वर्ष के बाद निर्णयों एवं आदेशों के सम्बन्ध में प्रार्थी की निर्णय लेखन शैली एवं निर्णय विन्यास (Judgement writing style, Configuration & Matrix) के प्रति सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय का रुख चमत्कारिक रूप से विपरीत हो गया। प्रार्थी द्वारा स्व निर्धारण प्रपत्र वर्ष 2022-2023 एवं स्व निर्धारण प्रपत्र (Self Assessment Statements) वर्ष 2023-2024 को सबमिट करने के दौरान जिन निर्णयों को उक्त प्रपत्रों के साथ दाखिल किया गया था , वे P.D.F. रूप में उक्त आनलाइन स्व निर्धारण प्रपत्रों के साथ दाखिल हैं। माननीय महोदय यदि उचित समझें, तो उक्त निर्णयों का अवलोकन सादर प्रार्थनीय है।

**2-प्रस्तर संख्या 01(g) (ii)- वे मुकदमे जिसमें तथ्य के सारे साक्षी पक्षद्रोही हुए और वाद दोषमुक्ति में समाप्त हुये (Numner of cases dicided wherein are all witnesses of fact turned hostile and the case ended in acquittal):-** इस प्रस्तर के संबंध में सम्मानित जनपद न्यायाधीश, बरेली द्वारा निल (Nil) का पृष्ठांकन किया गया है। जबकि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2023-24 में न्यायालय स्पेशल जज ( पाक्सो एक्ट) /अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-3, बरेली में कार्यरत रहते हुए कुल 03 फौजदारी वाद अप्रतिवादित रूप (Uncontested decided) रूप से निर्णीत किये हैं, जिनमें कि तथ्य के सारे साक्षी पक्षद्रोही हो गये थे। प्रार्थी द्वारा अपने स्व निर्धारण प्रपत्र वर्ष 2023-24 में विवरण पत्र संलग्नक B/3-a में उपरोक्त के बावत वर्णन किया गया है। लेकिन सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त प्रविष्टियों का अवलोकन किये बिना ही संबंधित प्रस्तर में निल (Nil) का मूल्यांकन कर दिया गया है।

**3-प्रस्तर संख्या 01(h) - कार्यालय नियंत्रण एवं प्रशासनिक सक्षमता एवं समझबूझ/व्यवहार कुशलता के सम्बन्ध में (Control over the office and Administrative capacity and tact :-** इस प्रस्तर के संबंध में सम्मानित जनपद न्यायाधीश, बरेली द्वारा मानक के अनुरूप नहीं (Not upto the mark) का पृष्ठांकन किया गया है। जबकि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। स्वयं जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा इस प्रस्तर 01(h) से बाद के प्रस्तर 01(k) बावत प्रभार वाले न्यायालय एवं कार्यालयों के निरीक्षण के पूर्ण एवं प्रभावी होने के बारे में मूल्यांकन करते हुए **हां (Yes)** का पृष्ठांकन किया गया है। अर्थात् प्रार्थी के अपने प्रभार वाले न्यायालय/ कार्यालय के नियंत्रण एवं निरीक्षण के पूर्ण एवं प्रभावी होने के बारे में सकारात्मक मूल्यांकन किया गया है। इस प्रकार सम्मानित जनपद न्यायाधीश, बरेली द्वारा प्रस्तर 01(h) एवं प्रस्तर 01(k) में परस्पर विरोधाभासी मूल्यांकन किये गये हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो न्यायालयों अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश , न्यायालय सं०-11, बरेली (दिनांक 01-04-2023 से 21-06-2023 तक) एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-3, बरेली ( दिनांक 21-06-2023 से दिनांक 31-03-2024 तक) के रूप में कार्यरत रहते हुए न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-11, बरेली का एक बार एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-3, बरेली का चार बार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित

प्रशावली के अनुरूप त्रैमासिक निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण टिप्पणियाँ एवं अनुपालन आख्यायें श्रीमान जनपद न्यायाधीश के कार्यालय को समय से प्रेषित की गयी हैं। पूरे वर्ष के दौरान प्रार्थी के न्यायालय से कभी भी कोई पत्रावली न तो गायब हुई है और न ही बिना तिथि नियत किये (Undated) पायी गयी है। न्यायालय एवं कार्यालय में संरक्षित की जाने वाली पंजिकाएं एवं रजिस्टर सदैव अद्यतन रूप से संरक्षित रखे गये हैं। प्रार्थी द्वारा अपने न्यायालय में साक्षियों के बयानों को टाइप कराकर अंकित कराने के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का सदैव अनुपालन किया गया है और साक्षियों के बयान यथासंभव टाइप कराकर अंकित किये गये हैं।

प्रार्थी की प्रशासनिक सक्षमता एवं समझबूझ/व्यवहार कुशलता (Administrative capacity and tact) के संबंध में सादर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा सदैव उच्च मानदण्डों का पालन किया गया है और सदैव अपने प्रभार वाले न्यायालयों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संचालित किया गया है तथा न्यायालय /कार्यालयों के संचालन में किसी भी विवाद से बचा गया है। प्रार्थी की प्रशासनिक सक्षमता अथवा व्यवहार के बारे में कोई भी विपरीत सूचना अथवा शिकायती पत्र न्यायालय के किन्हीं भी पक्षकारों/ हितधारकों (Stakeholders of the Court) अथवा स्वयं सम्मानित जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रार्थी के जजशिप बरेली में कार्यरत रहने के दौरान माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय महोदय के समक्ष प्रेषित नहीं किया गया है।

प्रशासनिक सक्षमता एवं समझबूझ /व्यवहार कुशलता के सम्बन्ध में (Control over the office and Administrative capacity and tact ) के संबंध में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-2024 में भी श्रीमान जनपद न्यायाधीश, बरेली का मेरे सम्बन्ध में मूल्यांकन एवं व्यवहार बहुत अच्छा बना रहा। सम्मानित जनपद न्यायाधीश, बरेली के प्रार्थी के प्रति सकारात्मक मूल्यांकन एवं विश्वास की भावना इस तथ्य से भी दृष्टिगत होती है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में माह फरवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में जब सिविल जज (सी०डि०) एवं सिविल जज (जू०डि०) कैडर के न्यायिक अधिकारियों की समस्याओं के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए श्रीमान जनपद न्यायाधीश बरेली द्वारा अपर जनपद न्यायाधीश स्तर के अधिकारियों के लघु समूह (Cluster) बनाये गये थे। उनमें से एक लघु समूह (Cluster) में तत्कालीन श्रीमान अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या-2, बरेली के साथ प्रार्थी को भी उक्त न्यायिक अधिकारियों के समस्या समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए दायित्व सौंपा गया था। इसी तरह धार्मिक रूप से अति संवेदनशील एक फौजदारी वाद में पीड़िता के लुप्त बयान के पुनर्गठन का दायित्व भी श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रार्थी को सौंपा गया था। प्रार्थी कुछ अन्य प्रशासनिक कमेटी का सदस्य भी था। प्रार्थी ने सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा सौंपे गये समस्त प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण रूप से निष्पादित किया है और इस संबंध में अनुपालन आख्या भी प्रेषित की गयी है।

इस प्रकार स्वयं सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रस्तर 01(h) एवं प्रस्तर 01(k) में की गयी मूल्यांकन टिप्पणियां एक दूसरे की विरोधाभासी हैं और यह दर्शित करती हैं कि प्रशासनिक सक्षमता एवं समझबूझ /व्यवहार कुशलता के सम्बन्ध में (Control over the office and Administrative capacity and tact ) के संबंध में सम्मानित जनपद न्यायाधीश द्वारा मेरे स्वनिर्धारण प्रपत्र का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया है।

**4- प्रस्तर संख्या 01(i) – बार के सदस्यों के साथ व्यवहार सम्बन्ध के सन्दर्भ में :-** बार के सदस्यों के साथ प्रार्थी के संबंध सदैव सौहार्दपूर्ण और विश्वासपूर्ण बने रहे। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा सदैव उच्च मानदण्डों का पालन किया गया है और सदैव अपने प्रभार वाले न्यायालयों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संचालित किया गया है और न्यायालय/कार्यालयों के सम्बन्ध में किसी भी विवाद से बचा गया है। प्रार्थी के बार के सदस्यों के साथ व्यवहार के बारे में कोई भी विपरीत सूचना अथवा शिकायती पत्र न्यायालय के किन्हीं भी विद्वान अधिवक्ता अथवा

बार एसोसिएशन जनपद बरेली द्वारा प्रार्थी के जजशिप बरेली में कार्यरत रहने के दौरान माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय महोदय के समक्ष प्रेषित नहीं किया गया है। बार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध होने के कारण जनपद न्यायालय बरेली के विद्वान अधिवक्तागण का न्यायालय के संचालन में सदैव सहयोग प्राप्त रहा है। इस संबंध में श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा किया गया मूल्यांकन निष्पक्ष एवं न्यायसंगत (Just & Fair ) नहीं है।

**5- प्रस्तर संख्या 01(j) – सहयोगी अधिकारीगण (Sister /Brother Officers) के साथ व्यवहार के सम्बन्ध में :-** सहयोगी अधिकारीगण के साथ प्रार्थी के संबंध सदैव सौहार्दपूर्ण और विश्वासपूर्ण बने रहे। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा सदैव उच्च मानदण्डों का पालन किया गया है और अपने वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सहयोगी अधिकारियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया गया है। प्रार्थी द्वारा सदैव उनके परामर्श एवं सुझावों का सम्मान किया गया और उनके सुख दुख में भी भागीदारी की गयी है। कनिष्ठ सहयोगी अधिकारियों द्वारा परामर्श मांगे जाने पर प्रार्थी द्वारा उन्हें सदैव विधिपूर्ण एवं न्यायसंगत परामर्श दिया गया है। सहयोगी अधिकारियों के साथ किसी भी विवाद से बचा गया है। इस संबंध में कोई भी प्रतिकूल सूचना अथवा शिकायती पत्र किसी सहयोगी अधिकारी द्वारा प्रार्थी के जजशिप बरेली में कार्यरत रहने के दौरान माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय महोदय के समक्ष प्रेषित नहीं किया गया है।

**6- प्रस्तर संख्या 01(n) – महिलाओं के प्रति व्यवहार ( उनके प्रति सम्मान एवं संवेदनशीलता के संबंध में):-** सहयोगी महिला अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं महिला पक्षकारों के साथ प्रार्थी के संबंध सदैव सम्मानजनक एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा सदैव उच्च नैतिक मानदण्डों का पालन किया गया है। कनिष्ठ सहयोगी महिला अधिकारियों द्वारा पत्रावली के सम्बन्ध में विधिक परामर्श मांगे जाने पर प्रार्थी द्वारा उन्हें सदैव विधिपूर्ण एवं न्यायसंगत परामर्श दिया गया है। इस संबंध में किसी भी विवाद से बचा गया है। अतः श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा किया गया मूल्यांकन निष्पक्ष एवं न्यायसंगत (Just & Fair ) नहीं है।

**7- प्रस्तर संख्या 01(m) – जनपद न्यायाधीश एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की राय/सुझाव (Advice) को मानने के सम्बन्ध में :-** प्रार्थी द्वारा सदैव सम्मानित जनपद न्यायाधीश एवं अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की राय, सुझाव एवं परामर्श आदि का सम्मानपूर्ण ढंग से अनुपालन किया गया है। संगठनात्मक पदानुक्रम एवं व्यवहार ( Organization hierarchy & behaviour) के अनुक्रम में प्रार्थी द्वारा सदैव उच्च मानदण्डों का पालन किया गया है। जजशिप बरेली में दिनांक 15-04-2024 तक तैनात रहने के दौरान जनपद न्यायाधीश एवं अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के साथ प्रार्थी के संबंध सदैव सौहार्दपूर्ण और विश्वासपूर्ण बने रहे। प्रार्थी द्वारा सदैव जनपद न्यायाधीश एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं ससम्मान व्यवहार किया गया है और उनके परामर्शों एवं सुझावों का With Utmost Regards ससम्मान अनुपालन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान श्रीमान जनपद न्यायाधीश, बरेली द्वारा जिन आदेशों एवं सुझावों को लिखित रूप में प्रार्थी के न्यायालय / कार्यालय में लिखित रूप में प्रेषित किया गया है, उनका प्रार्थी द्वारा ससम्मान एवं सहर्ष (With Regards & Pleasure) अनुपालन सुनिश्चित कराया गया है। इस संबंध में सम्मानित जनपद न्यायाधीश एवं अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों द्वारा कोई भी प्रतिकूल सूचना अथवा पत्र प्रार्थी के जजशिप बरेली में कार्यरत रहने के दौरान माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय महोदय के समक्ष प्रेषित नहीं किया गया है। पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कभी भी ऐसा कोई अवसर नहीं आया है, जब श्रीमान जनपद न्यायाधीश, बरेली द्वारा कोई शासकीय पत्र ( D.O.) अथवा अन्य पत्र भेजकर उनके आदेश का अनुपालन नहीं होने के अथवा प्रार्थी के कार्य व्यवहार के बारे में सूचित करना पड़ा हो।

इस संबंध में उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि सम्मानित जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने मूल्यांकन टिप्पड़ी में अंग्रेजी शब्द Amenable के स्थान पर Amicable का प्रयोग किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के सुझाव एवं परामर्श के संबंध में कोई भी टिप्पड़ी नहीं की है। अतः प्रार्थी क्षमा एवं दुःख की भावना ( Feelings of Sorry & Sadness) के साथ यह सादर निवेदन कर रहा है कि इस संबंध में श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा किया गया मूल्यांकन निष्पक्ष एवं न्यायसंगत (Just & Fair ) नहीं है।

श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा मेरी सत्यनिष्ठा (Integrity) को **संदेह से परे (Beyond Doubt)** मानते हुए Remark Table में कालम संख्या 1 (a), (b), (c), (d) में सकारात्मक मूल्यांकन किया गया है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-2024 में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 240 युनिट ज्यादा कार्य (Work Done) किया गया है। प्रार्थी के स्व मूल्यांकन प्रपत्र A.C.R.- 2023-2024 में Actual Units Required एवं Actual Units Received संबंधित विवरण पत्र में निम्न अनुसार वर्णित है--

Actual Units Required (Target) = 784 Units

Actual Units achieved by me = 1115.36

Total Units achieved in the year = 1531.92

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा वर्ष 2023-2024 में Required Units (आवश्यक युनिट) के मुकाबले लगभग 331 युनिट अधिक कार्य किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में प्रार्थी द्वारा 02 निष्पादन वादों ( Execution Cases) को निर्णीत किया गया है। इस वर्ष प्रार्थी द्वारा 05 वर्ष से अधिक प्राचीन 27 वादों तथा 10 वर्षों से अधिक प्राचीन 05 वादों को निर्णीत किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में श्रीमान जनपद न्यायाधीश , बरेली द्वारा प्रार्थी के स्व मूल्यांकन प्रपत्र वर्ष 2023-24 का जिस प्रकार से मूल्यांकन किया गया है और नकारात्मक पृष्ठांकन /टिप्पणियां (Comments) की गयी हैं, उनके कारण प्रार्थी के उच्चतर न्यायिक सेवा (H.J.S. Cadre) में उज्रवल भविष्य एवं पदोन्नति (Promotions) में बाधा उत्पन्न होने का आसन्न संकट विद्यमान हो गया है।

अतः माननीय महोदय से सादर ससम्मान निवेदन है कि वार्षिक गोपनीय टिप्पणी (A.C.R.)- 2023-2024 में उपरोक्त वर्णित पृष्ठांकन/टिप्पणियों के सम्बन्ध में प्रार्थी के प्रत्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें तथा सम्मानित जनपद न्यायाधीश, बरेली द्वारा किये गये पृष्ठांकन/टिप्पणियों को रद्द करने (Wash out) की कृपा करें। साथ ही प्रार्थी का सर्व प्रकार से मूल्यांकन (Over all Assessment) "अच्छा (Good)" को उच्च श्रेणी में उन्नयन (Upgrade) करने की कृपा करें। जिसके लिए प्रार्थी माननीय महोदय का सदैव आभारी रहेगा।

सादर, सम्मान सहित

दिनांक 28.06.2024

भवदीय

(हरि प्रकाश गुप्ता)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

न्यायालय सं०-3, फतेहपुर

(पूर्व में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली)